मानक शर्ते

(वन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन की पत्र सं0 7314/14–3–1980/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1– भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2– प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नही।

3– याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।

4– भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।

5– हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति, नही पहुंचायेगे और ऐसा किया जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

6– भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।

7– हस्तान्तरीत वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारियो को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नही होगी।

8– बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओ से भरपूर वन क्षेत्रो का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाये।केवल अपरिहार्य कारणो से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबनध से होगा कि वन सम्पदा की क्षति पूर्ती एवं वन्य जन्तुओ के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरीत की जायेगी।

9– सिचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो/पौधो को एवं वन विभाग के कर्मचारियो को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

10– याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरीत भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरीत करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरीत भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।

11– सडक निर्माण में प्रस्तावो पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0 नि0 नि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 नि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौडी को सम्बोधित पत्र संख्या

सी0दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशो का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना

अथवा वन मार्गो को मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12– वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13– वन भूमि पर खड़े वृक्षो का निस्तारण वन विभाग विभाग द्वारा उ0 प्र0 वन निगम. अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षो का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षो का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14– हस्तान्तरीत भूमि मे पड़ने वाले वृक्षो के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरीत भुमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर 10 पेड़ो का रोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा।1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढ़ाल पर खड़े वृक्षो का पातन निःषिद्ध है। इसी प्रकार बांज के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षो के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15– वन भूमि के ऊँपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ो का कटान नही किया जायेगा या खम्भो को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा।यदि फिर भी पेड़ो का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूत्तम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है ।

16– यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है तो नहर की दोनो पटरीयो को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करेगा।

17– उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।

18– वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाय एवं वन विभाग एवं उसके अधिकारियों द्वारा लगाई गई सभी शर्तों अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जायें।

मै प्रमाणित करता हूँ कि मुझसे/मेरे विभाग से सम्बन्धित उपरोक्त मानक शर्तो से मै पूर्णतः सहमत हूँ तथा उपरोक्त शर्तो का अनुपालन करने के हेतु बचनबद्ध हूँ तदनुसार प्रतिहस्ताक्षरित करता हूँ।

for SUNFLAG POWER LTD.

दिनांक :

Jagannathan Somu
(General Manager)

स्थान :